

राजस्थान सरकार

(कागदा - 129)

2024/172

जनरल रूला सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंस फॉर्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

PV

| किस्म मुकदमा | नंबर मुकदमा | तारीख दायर | तारीख फंसला | पंजी दिनांक |
|-------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| द्वारा 111-128 | 108/24 | 18/4/2024 | | 25/2024 |
| | | | 30/5/24 Avt | |

अनुमान

श्री शुभलाल S/o होक्मा जगदी देगार

श्री मनीष S/o हिरालाल खटीक

निवासी बिक्रमपुरा

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

पट्टन

श्री दीपक मीणा

श्री

FORM NO. III

फर्द अटकम

(विषय 26)

जल अदातल

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौरिया

शुभल

काम

गलीप

दिना मुकदमा -

11-12-8

नमर

108

/2024

तारीख
हुम

हुम या कानकाही मय इतिथियल्ला जल

नमर व तारीख
अटकम जो हुम
हुम की तारीख
में जारी हुए

18 / 11 / 2024

प्रश्नना पत्र नौमे से बाद जाँच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज
रजिस्टर किया जाकर आपत्ती को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी
हो। पत्रावली वारसे तलवी/जवाब दिनांक 2.../5/2024 को पेश
हो।

3
उपखण्ड अधिकारी
बिजौरिया

21/11/24

पत्रावली पेश हुए। अभ्यासक वारी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. का दर्जे पर ही पत्रावली
दिनांक 21/11/24 को वारसे 5. 11/ पेश हो।

3
उपखण्ड अधिकारी

23/11/24

पत्रावली पेश हुई। तारीखकतना धर्मी उपस्थित।
विपक्षीयता श्री बाद-तानस्र एतदु हुई, सिद्धि
शासित पत्रावली किया गया। विपक्षीयता के
बाद खलजा अनुवस्थित। विपक्षीयता के
विषय छत्र - पक्षीय तारतामी से आदेश
प्राप्त किए गए। पत्रावली वास्तु आदेश।
आगामी दिने 20/11/24 को दर्जा होगे

3
उप खण्ड अधिकारी
बिजौरिया जिला-भीलवाड़ा

20/11/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के आदेश
पेश गए। तारतामीया बिजौरिया को दर्जा
प्राप्ती की उसी पत्रावली फर्दना शुरूकार धर्मा
नकल को मय होकर पत्रावली दर्ज होगे

3
उप खण्ड अधिकारी

बिजौरिया जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :-/108/24

तारीख दायर 18/5/24

1-प्रभु लाल पिता होक्मा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विकमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-प्रार्थी

बनाम



1-मनीष पिता हीरालाल जाति खटीक उम्र 25 वर्ष निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-रंगोली पुत्री रकेश कुमार जाति खानपुरिया(मेहर) उम्र वयस्क निवासी शास्त्री नगर दादाबाड़ी जिला कोटा(राज.)

3-उषा पति सुरेश कुमार जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

4-प्रेमलता पति कुन्तीलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

5-भारती पति प्रकाश चंद्र जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

6-भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:-आदेश:-

दिनांक 30/5/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी प्रभु ने जरिये अभिभाशक श्री सत्यनारायण जीनगर, दीपक मीणा, मनीष धाकड़, एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा भू-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 93 आराजी नंबर 375/65 रकबा 0.8094 हैक्टर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पल्सरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ मे प्रार्थनापत्र की तार्हद में शपथपत्र संतनन है।

प्रार्थनापत्र रजिस्टर करवाया गया है। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की वहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संतनन जमाबन्दी सम्वत 2074-2077के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार / गैर खातेदार का तकार है। पञ्जोरियान केंद्र निवाड

उप खण्ड अधिकारी


बिजौलियाँ जिला: भीलवाड़ा

करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड स्वेन्चु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 93 आराजी नंबर 375/65 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे ।

प्रार्थनापत्र निर्णित हो कर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।


उपपर्याप्त अभिक्षेत्री
उप लेण्ड अभिक्षेत्री
बिजौलियां भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा(राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 108/१५

तारीख दायर 18/4/२५

पेशि-:

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 108/१५- पथरगढी बाबत।

1-प्रभु लाल पिता होक्मा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी विकमपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
-प्रार्थी

बनाम

- 1-मनीष पिता हीरालाल जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 2-रंगोली पुत्री रकेश कुमार जाति खानपुरिया(भिहर) उम्र वयस्क निवासी शास्त्री नगर दादाबाड़ी जिला कोटा(राज.)
- 3-उषा पत्नि सुरेश कुमार जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-प्रेमलता पत्नि कुन्तीलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 5-भारती पत्नि प्रकाश चंद्र जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 6-भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.)

-विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तत अनवाणी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भू-अभिलेख निश्चिक क्षेत्र बिजौलियांकलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा(राज.) में स्थित खाता संख्या 93 आराजी नंबर 375/65 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि की बशमलात पडोसीयान के पथरगढी की जा जावे। भौके पर पथरगढी के दौरान कब्जा किस्ती अन्य का पाया जावे तो जरिये पथरगढी कब्जा नही हटायया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पथरगढी हेतु भू-अभिलेख निश्चिक क्षेत्र बिजौलियांकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पथरगढी करने से पूर्व पडोसी एवं विपक्षीगणों को सुचित करते हुए पथरगढी करें।

पथरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।